

आदेश पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, 1941 का नियम 129)


आदेश पत्रक ता० से तक

जिला - राँची।

केस का प्रकार- जमाबंदी निरस्तीकरण वाद संख्या 08/2021-22

आदेश और तिथि	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की कार्रवाई के बाटिप्पणी ता० स
	<p>आवेदक सुखसागर साय, पिता- स्व० गोन्दल साय, साकिन- सांगा, जिला- राँची द्वारा समर्पित आवेदन के अनुसार मौजा सांगा खाता संख्या- 203 प्लॉट संख्या 474 रकबा 0.93 एकड़ भूमि आर०एस० खतियान में सुदन साए वो खुड़र साए पेशरान मकुन्द साए दर्ज है। आवेदक द्वारा निबंधित पट्टा संख्या- 6658/9076 दिनांक 21-08-1991 एवं 1041 दिनांक 08-02-2019 की प्रति संलग्न कर सूचित किया गया है कि निबंधित पट्टा संख्या- 6658/9076 दिनांक 21-08-1991 जिसमें बिक्रेता सुखसागर साय (आवेदक) द्वारा क्रेता विमल देवी को खाता संख्या- 203 प्लॉट संख्या- 474 रकबा 64 डीसमील भूमि बिक्री दिखाया गया है, जो आवेदक द्वारा सम्पादित नहीं है। किसी अन्य व्यक्ति द्वारा सुखसागर साय के नाम से यह भूमि जाली हस्ताक्षर करते हुए बिक्री की गई है। साथ ही वास्तविक तथ्यों को छुपाते हुए दाखिल खारिज वाद संख्या 3989R27/20-21 द्वारा स्वीकृत करा लिया है। स्थानीय जाँच के क्रम ग्रामीणों से पुछताछ तथा संलग्न कागजात के अवलोकन से आवेदक सुखसागर साय का दावा सही प्रतीत होता है। अतः उक्त आधार पर विमल देवी पति रामटहल गोप के नाम से मौजा सांगा खाता संख्या 203 प्लॉट संख्या 474 रकबा 64 डीसमील भूमि का दाखिल खारिज वाद संख्या 3989R27/20-21 को रद्द करने हेतु अनुशंसा की गई है।</p> <p>अतः राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के प्रतिवेदन के आधार पर दाखिल खारिज वाद संख्या 3989R27/20-21 में पारित आदेश को निरस्त/रद्द करने की अनुशंसा की जाती है।</p> <p>अभिलेख अग्रेतर कार्रवाई हेतु उप समाहर्ता, भूमि सुधार, सदर, राँची को भेजें।</p> <p>लेखापित एवं संशोधित</p> <p>अंचल अधिकारी, काँक, राँची</p> <p>अंचल अधिकारी, काँक, राँची</p>	

भवदीय पत्रांक 930 दिनांक 03.03.2022 के द्वारा पृच्छा की गई है कि उभय पक्षों को नोटिस निर्गत नहीं किया गया है और सुनवाई नहीं की गई है। इस संबंध में भवदीय को सादर सूचित करना है कि उभय पक्षों को नोटिस दिनांक 17.11.2021 को निर्गत करते हुए सुनवाई की गई। जिसमें द्वितीय पक्ष के द्वारा किसी प्रकार का साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया। उक्त नोटिस एवं प्राप्ति की प्रति संलग्न करते हुए अभिलेख आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजी जा रही है।


अंचल अधिकारी
कोक, रांची

श्रीवा है,

डिप्टी सचिव,

कॉलेज

विषय:- गणान्तरण वाद संख्या 3989227/2020-21 की खारिज करने के लिए

प्रार्थना, उपर्युक्त विषयक शर्तिका. सुरक्षागार साय, पिता स्व. गोंदल साय, 21

मास्टर प्रालिपिंग, थाना-पिणेक, जिला-रांजी द्वारा समर्पित कार्डिंग के क्षेत्रों के

जांचोपरांत उचित कृतियां कृतियां हैं कि जॉना सांगा, थाना सं० 60, खेत सं० 203, 21

के सुदूर पार के पुद्गासाय, चैशरान मकुद साय के नाम पर खेत सं० 474, खेत

सं० 101 द्वारा निर्धारित पट्टा संख्या 9958/9076, दिनांक 21.08.1991 एवं

दिनांक 08.02.2019 की उचित संलग्न प्रमाणित किया गया है कि निर्धारित

संख्या 9958/9076, दिनांक 21.08.1991, दिनांक विक्रय सुरक्षागार साय (शर्तिका) तथा

उक्त विप्लव सेवा, थाना सं० 203, खेत सं० 474, खेत 64 डिप्टी सचिव प्रमाणित

दिया गया है, शर्तिका द्वारा समर्पित नहीं की कृपया कृपया उपर्युक्त द्वारा 3

प्राय के नाम से यह प्रमाणित जाली हस्ताक्षर करते हुए किसी की गई है। साथ

वास्तविक तथ्यों को दिखाने हुए गणान्तरण वाद संख्या 3989227/2020-21

द्वारा के-विप्लव सेवा के नाम से गणान्तरण कर लिया गया है। स्थितिगत

संगी के पुद्गासाय तथा संलग्न जगजग के क्षेत्रों के भी शर्तिका के-वा

करी उचित होते हैं। अतः इन्त शाखा पर विप्लव सेवा प्रति ~~विप्लव~~ राम र

गोप के नाम से जॉना सांगा, थाना सं० 203, खेत सं० 474, खेत 64 डिप्टी सचिव

के गणान्तरण वाद संख्या 3989227/2020-21 की खारिज करने के लिए

की जा सकती है

अनुलग्नक संख्या 1

निर्वाह माल

RS, HN-111

कॉलेज रांजी

श्रीवा

01/11/21
4
21/9/21